



# राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण

## अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डांडा लखौण्ड, सहस्रधारा रोड, देहरादून - 248001

ई-मेल: ayushmanuttarakhand@gmail.com

पत्रांक: रा०स्वा०प्रा०/2020-21/हॉस्पिटल मैनेजमेंट/194

दिनांक: 18 जून 2020

प्रेषित,

रविन्द्र कुमार  
चिकित्सालय संचालक  
जगदम्बा ट्रामा सेंटर देहरादून,  
उत्तराखण्ड।

विषय: सूचीबद्धता हेतु किये गये अनुबन्ध के Section 11 Para 2 अनुसार 01 माह का नोटिस प्रेषित किये जाने  
विषयक।

महोदय,

Jagdamba Trauma Centra Dehradun द्वारा दिनांक 05 अक्टूबर 2018 को HEM Portal के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया गया दिनांक 16 दिसम्बर 2018 जनपद स्तरीय इम्पैनलमैंट समिति की संस्तुति उपरान्त राज्य हेत्थ एजेंसी द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2018 को योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन पंजीकृत किया गया। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत Jagdamba Trauma Centra Dehradun के द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने के उपरान्त योजना के अन्तर्गत सूचीबद्धता प्राप्त की गई थी। सूचीबद्धता हेतु किये गये अनुबन्ध के Section 11 Para 2 के अनुसार

### Section 11: Termination

2. This Agreement may be termination by either party by giving one month's prior written notice by means of registered letter or a letter delivered at the office and duly acknowledged by the other, provided that this Agreement shall remain effective thereafter with respect to all rights and obligations incurred or committed by the parties hereto prior to such termination.

Jagdamba Trauma Centra Dehradun के सम्बन्ध में ऐसा उचित प्रतीत होता है कि चिकित्सालय को एक माह का नोटिस देने के उपरान्त अनुबन्ध समाप्त करते हुए योजना से सूचीबद्धता समाप्त किया जाये।

अतः Jagdamba Trauma Centra Dehradun को अनुबन्ध के Section 11 Para 2 के अनुसार नोटिस दिया जाता है। एक माह के नोटिस के पश्चात चिकित्सालय से अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा। इस नोटिस को ई-मेल द्वारा प्रेषित करने के साथ-साथ रजिस्टर्ड डाक से भी प्रेषित किया जायेगा।

मवदीय,

(डा० विनाद नौटियाल)  
निदेशक-हॉस्पिटल मैनेजमेंट,  
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण  
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।